भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2437
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई के अंतर्गत आवासीय इकाइयों की लागत

2437. श्री गुमान सिंह दामोरः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्मित की जा रही आवासीय इकाइयों की लागत कितनी है;
(ख) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गई इकाइयों के निर्माण की लागत अलग-अलग है और यदि हां, तो क्या इन दोनों क्षेत्रों के लिए आबंटन को बराबर करने के लिए कोई योजना है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या दोनों क्षेत्रों के लिए अनुमानित लागत को एक ही मानदंड पर मापे जाने की संभावना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्माण सामग्री स्थल से उठाई जा चुकी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयोजन से सरकार ने पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया है। पीएमएवाई-जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल, 2016 से क्रियान्वित कर रहा है। देश के शहरी क्षेत्रों में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25.06.2015 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपए तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य-योजना (आईएपी) वाले जिलों में 1.30 लाख रूपए की इकाई सहायता दी जाती है। इसके अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के साथ तालमेल करके 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी दी जाती है तथा स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम- जी), मनरेगा योजना अथवा वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ तालमेल करके शौचालयों के निर्माण के लिए भी 12,000 रूपए की सहायता दी जाती है। राज्य सरकार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता को अपने संसाधन से बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25.06.2015 से कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी [पीएमएवाई(यू)] के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है। इस योजना में निम्नलिखित चार पहलें शामिल हैं।

क्र.सं.	पहलें	प्रति आवास केंद्रीय सहायता
1	झुग्गी-बस्ती का स्व-स्थानों पर पुनर्विकास (आईएसएसआर)	1.00 लाख रूपए
2	ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग-I (एमआईजी-I) और मध्यम आय वर्ग-II (एमआईजी-II) श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 6 लाख रूपए, 9 लाख रूपए और 12 लाख रूपए तक की आवास ऋण राशि पर क्रमशः 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी।
3	भागीदारी में किफायती मकान (एएचपी)	1.50 लाख रूपए
4	लाभार्थी द्वारा निजी आवास का निर्माण/विस्तार (बीएलसी)	1.50 लाख रूपए

पूरे देश में विभिन्न पहलों के लिए पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित है, चाहे उनकी स्थल आकृति/भौगोलिक स्थिति अलग-अलग क्यों न हों। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों को पीएमएवाई(यू) की आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी पहलों के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

पीएमएवाई की दोनों योजनाओं के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण की लागत स्थान, सामग्री लागत, श्रम लागत, उपयोग की गई प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, लाभार्थी अपने पीएमएवाई-जी आवास के निर्माण के लिए डिजाइन का चयन करने का निर्णय स्वयं लेते हैं। लाभार्थी के आवास क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उन्हें स्थानीय स्थिति के अनुसार आवास के कई डिजाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। केंद्र सरकार आवास के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है और दोनों में से किसी भी योजना के अंतर्गत आवास का निर्माण नहीं कर रही है। वर्तमान में, पीएमएवाई की दोनों योजनाओं के अंतर्गत एकल सहायता राशि को बराबर करने की कोई योजना नहीं है।

******